




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

आदेश संख्या: पुंअं.निं.सुजीत राय और सी.पी.ओ. अर्थात् वनाग सञ्चर मछले तजैरह
 और सी.पी.ओ. अर्थात्

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एग. 57 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी (सी.पी.ओ.) के अप्राथमिकी सं०-18/18 दिनांक-30-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>खिली विद्यल कमा उप-डुनाव की लैकल बरहे और सी.पी.ओ. दैतकी सं० 11/18 दि० 30-5-18</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 10000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 25-5-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="399 1590 734 1803"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> <div data-bbox="1005 1590 1340 1803"> <p> 25/5/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> </div> <p align="center">अभिलेख उपस्थापित दिनपि पल क्रमांक 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10 उपस्थित अन्य अर्थात् अनुपस्थित दिनांक 28-05-18 को रखें</p> <div style="text-align: right;"> <p> 25/5/18</p> </div>	

25-05-18

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
------	---------------------------------

30-11-18

आभिलेखन इतरचापित्त। विपक्षी अडपलित्त
विधाकसमा उप इगाव अन्तिपूर्परनय खै सप्यअ
है गरी हो अतः वार में आभिलेखन की
कारवाही बन्द की जाती है।


30/11/18